

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी:- श्रीमति निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र सं० 162/2022

1. बन्ना पुत्र श्री सुवा जाति गुर्जर निवासी खण्डांच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.।
2. रमेश पुत्र श्री बन्ना जाति गुर्जर निवासी खण्डांच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.।

प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. छोदू पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी खण्डांच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.।
2. रामजीवण पुत्र श्री हरलाल जाति गुर्जर निवासी खण्डांच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
3. तेजू पुत्र श्री गिरधारी जाति गुर्जर निवासी खण्डांच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.।
4. गणेश पुत्र श्री रामजीवण जाति गुर्जर निवासी खण्डांच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.।
5. दयाल पुत्र श्री भूरा जाति गुर्जर निवासी खण्डांच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.।
6. मन्जू पत्नि श्री रामजीवण जाति गुर्जर निवासी खण्डांच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.।
7. लाली पत्नि श्री गिरधारी जाति गुर्जर निवासी खण्डांच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

- अप्रार्थीगण

## निरणय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश

दिनांक... 4/12/24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता डी.सी. सेठी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि ग्राम खण्डांच स्थित खसरा नम्बर 873/757 रकबा 0.8090 हैक्टेयर स्थित है जिसके प्रार्थीगण खातेदार कब्जेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण दादा रौबदार किस्म के व्यक्ति है तथा गरीब व्यक्तियों/किसानों की भूमि में दादागिरी से पत्थर डाल देते हैं तथा फसलों को नुकसान पहुंचाकर अतिक्रमण कर कब्जा कर लेते हैं। मिट्टी खोदकर बैच देते हैं। अप्रार्थीगण प्रतिदिन प्रार्थीगण के काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते हैं तथा पत्थर डालने का प्रयास करते रहते हैं तथा प्रार्थीगण की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तथा कब्जा करने का प्रयास करते रहते हैं। दिनांक 12.08.2022 को प्रार्थीगण व उनके परिवार के सदस्य पुत्र रमेश सुबह लगभग 11:30 बजे अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य व काश्त कर रहे थे तभी अप्रार्थीगण आये तथा प्रार्थीगण के कृषि भूमि पर काश्त में व्यवधान उत्पन्न किया तथा प्रार्थी की फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिये मिट्टी खोदने लगे जिस पर प्रार्थी ने रोका तो अप्रार्थीगण लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए और एलानिया धमकी दी की हम तुम्हारी कृषि भूमि में मिट्टी खोदेंगे तथा मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के मध्य गम्भीर वाद विवाद हुआ और प्रतिवादी अप्रार्थीगण ने धमकी दी कि आइन्दा मौका पाकर तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, अतिक्रमण कर लेंगे तथा मिट्टी खोदकर बैचान कर देंगे। अतः वाद कारण हुआ जो निरन्तर जारी है तथा अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण व परिवार के सदस्य को धमकी देते हैं कि तुम पर तुम्हारे पुत्रों पर झूठा फौजदारी मुकदमा लगा देंगे और तैरे पुत्रों को सरकारी नौकरी से हाथ धुला देंगे। प्रार्थी की प्रार्थना है कि ग्राम खण्डांच स्थित खसरा नम्बर 873/757 रकबा 0.8090 हैक्टेयर में वादी/प्रार्थी व परिवार के सदस्य के अप्रार्थीगण कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे मिट्टी नहीं खोदे, पत्थर नहीं डाले तथा वादी/प्रार्थी की फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाने तथा कब्जा करने का प्रयास नहीं करे। इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश बहक वादी प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण देने की कृपा करावे एवं अन्य अनुतोष जो अदालत उचित समझे प्रार्थी को दिलाने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 14.09.2022 को दर्ज रजिस्टर में क्रमांक 162/2022 पर दर्ज कर अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी किये गये। दिनांक 20.10.2022 को वकील श्री रामदेव गुर्जर अप्रार्थीगणों के द्वारा 01 से 09 की ओर से उपस्थित हुये तथा जवाब प्रा. पत्र पेश किया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया गया है वादवर्णित आराजीयात पर कब्जा-काश्त नहीं रहा है उपरोक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण /जवाबकर्तागण का अपने पूर्वाधिकारियों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ जिला अजमेर

समक्ष धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश करना चाहिए था। प्रार्थी को उपरोक्त आराजीयात आवंटन से प्राप्त हुई जो लेकिन उपरोक्त आराजीयात पर कमी कब्जा-काश्त नहीं रहा है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य प्रकटीकरण करके वाद पेश किया गया है। प्रार्थी व इसके परिवारजन भू-माफिया किरम के व्यक्ति है जो सरकारी भूमियों पर कब्जा करके सरकारी भूमियों को खुर्द-बुर्द करते है जिस बाबत माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार राजस्व मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जिला कलेक्टर महोदय, उपखण्ड अधिकारी महोदय किशनगढ, तहसीलदार महोदय किशनगढ के समक्ष दिनांक 20.10.2022 को ग्राम खण्डांच के वर्तमान खसरा नम्बर 765, 805/669, 758, 757, 749, 748, 630, 589 जो सरकारी भूमियों पर अवैध अतिघार अतिक्रमण कर उक्त भूमियों को खुर्द-बुर्द करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना के अन्त में जो प्रार्थी द्वारा प्रार्थना चाही गई है व स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे-खर्चे खारीज, फरगये जाते के आदेश प्रदान कराने की कृपा करायें। हमारे द्वारा दिनांक 06.11.2024 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र व जवाब प्रा. पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा वर्तमान में काबिज काश्त है अतः सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी के कार्यों में व्यवधान किया गया तो अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को होना कारित है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगणों को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीगणों की भूमि खसरा संख्या 873/757 रकबा 0.8090 हैक्टेयर के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा मौके की यथास्थिती बनाये रखें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 4/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फाँसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



निशा सहारण (आर.ए.एस)

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ (अजमेर)  
किशनगढ (अजमेर)